

तारीख
हुक्म

27 ⁰³/₂₀₂₅

गौन अधिकारी राजकीय कार्य/
गारा में होने से पत्रावली दिनांक
30/4/25 को पेश हो

[Signature]
अध्यायक

30 ⁴/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकीलानुसार उप.।
पुष्टा खोला रिपोर्ट पर वकील पत्रकारण
लक्षणों का सुनी गई। खोला रिपोर्ट का
अवलोकन किया गया। पत्रावली कस्टी
आदेश देह दिनांक 14/5/25 को पेश
है।
[Signature]
अध्यायक कलेक्टर बापिणी

14 ⁵/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकीलानुसार उप.।
पुष्टी का पुष्टी पत्रा स्वीकार किया
जाता है। पत्रावली से विगीत पृष्ठ का
खैलिया जाकर पत्रावली से शामिल
किया गया। विगीत की चालना देह
तदनुसार को तदरीर जारी है। पत्रावली
के अंत आकार होकर अक्षर से कम
है।
[Signature]
अध्यायक कलेक्टर बापिणी

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

प्रार्थना पत्र संख्या :-

प्रार्थीगण

भगवानाराम वगैरह

बनाम

अप्रार्थीगण

अलाराम वगैरह

मौका जांच रिपोर्ट पर आपति बाबत।

मान्यवर जी,

अप्रार्थीगण संख्यां 1 ता 07 की ओर से निम्न निवेदन है कि :-


1. यह है कि उक्त अनवान में माननीय न्यायालय हाजा के द्वारा भूअ.नि. से मौका जांच रिपोर्ट तलब की थी। जो दिनांक 29.07.2019 को प्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारीयो से मिलीभगत कर बाले बाले अपने पक्ष में मौका जांच रिपोर्ट बना कर माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी।
2. यह है कि भूअ. निरीक्षक ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में अप्रार्थीगण को सुचना देने का हवाला दिया हुआ है परन्तु इसका कोई सबुत पेश नहीं किया है अप्रार्थीगण को किस माध्यम से सुचना दी इसका भी उल्लेख मौका जांच रिपोर्ट में नहीं है मौका जांच रिपोर्ट भूअ.नि. मौका देखें बिना ही मौका फर्द बना कर न्यायालय में पेश कर दी। जो खारीज योग्य है।
3. यह है कि उक्त प्रकरण में मौका जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुए करीब 20 माह से ज्यादा का समय व्यतित हो चुका है उक्त पत्रावली सहायक कलेक्टर औसिया में विचाराधीन थी इसके बाद क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट के यहां परिवर्तित कर दी गयी। तथा बाद में कोरोना होने के कारण पत्रावली में आज दिन तक अप्रार्थीगण की आपति पेश नहीं हो सकी जो अब अप्रार्थीगण पेश कर रहे है।
4. यह है कि उक्त प्रकरण में मौका जांच रिपोर्ट को पेश हुए 20 माह से ज्यादा का समय व्यतित हो चुका है इस बीच मौके की स्थिति में भी परिवर्तन हो चुका है कई नये घर बन गये है तथा भारतमाला का निर्माण होने से कई घ विस्तापित भी हो चुके है इसलिये जो मौका रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश है वह वर्तमान मौके से विपरीत है। इसलिए मौका रिपोर्ट खारीज कर पुनः तहसीलदार से मौका जांच करवायी जावें।



(1)

5. यह है कि भू.अ. निरीक्षक द्वारा अपनी मन मर्जी से मौका जांच रिपोर्ट बनाकर पेश कर दि है जो विधिविरुद्ध होने से खारीज योग्य है चूकि राजस्व विभाग द्वारा स्पष्ट मत है कि मौका जांच रिपोर्ट करने से पूर्व सभी पक्षकारो को नोटिस के जरीये सुचना दिया जाना आवश्यक है। जो भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिया जाना उचित नही समझा ओर प्रार्थीगण के कहे अनुसार रिपोर्ट बना कर पेश कर दी गयी।

अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य मौके की स्थिति में परिवर्तन होने एवं मौका जांच रिपोर्ट विधिवत अप्रार्थीगण को नोटिस दिया जाकर सभी की उपस्थिति में बनायी जाकर मगवायी जावे। ताकि वर्तमान मौके की स्थिति न्यायालय के सामने लायी जा सके।


(अप्रार्थीगण)



सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलेक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां।

प्रार्थना पत्र संख्या:-

तारीख प्रस्तुती:-

प्रार्थीगण:-

1. भगवानराम पुत्र श्री अणदाराम

2. रूपाराम पुत्र श्री अणदाराम

जति जाट निवासी जाटो की ढाणी हडमान सागर
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

-: ब नाम :-

अप्रार्थीगण:-

~~1~~ अलाराम पुत्र श्री करनाराम

~~2~~ लिखमाराम पुत्र श्री करनाराम

~~3~~ बन्नाराम पुत्र श्री करनाराम

4. तिलाराम पुत्र श्री करनाराम फौत जिनके कायम मुकाम

~~1~~ (1) चेनीदेवी पत्नि श्री तिलाराम

~~2~~ (2) जगदीश पुत्र श्री तिलाराम

~~3~~ (3) मुकेश पुत्र श्री तिलाराम

~~4~~ (4) रूपो पुत्री श्री तिलाराम

~~5~~ (5) गंगा पुत्री श्री तिलाराम

~~6~~ (6) विमला पुत्री श्री तिलाराम

~~7~~ मोहनराम पुत्र श्री पोकरराम

~~8~~ लक्ष्मणराम पुत्र श्री पोकरराम

~~9~~ सुदी पत्नि श्री पोकरराम

8 मालारामपुत्र जांवताराम फौत जिनके कायम मुकाम

~~1~~ (1) मानाराम पुत्र श्री मालाराम

भगवानराम